बिहार सरकार
बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली
(सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार)

क्रम सं० 280 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक–23.
04.2017

नीति आयोग के शासी परिषद् की बैठक

दे"ा के विकास के लिए समावे"ाी सोच एवं दृष्टि की आव"यकता : मुख्यमंत्री श्री नीती"ा कुमार

नीती"ा कुमार ने प्रत्येक भारतीय को आव"यक रूप से प्रतिष्ठापूर्ण और आत्मसम्मान से जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराने पर दिया बल

सतत विकास के लिए राज्यों के बीच असमानता के स्तर पर आधारित रणनीति का सूत्रण किया जाए : नीती"ा कुमार

नई दिल्ली। 23 अप्रैल 2017: माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीभा कुमार ने कहा है कि बदले हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में देश के विकास के लिए समावेशी सोच एवं दृश्टि को आवश्यकता है। वे आज राश्ट्रपति भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित नीति आयोग के भाासी परिशद् की तीसरी बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को आवश्यक रूप से प्रतिश्ठापूर्ण और आत्मसम्मान से जीवन जीने का अवसर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन रणनीति का सूत्रण किया जाना चाहिए जो राज्यों के बीच असमानता के स्तर पर आधारित हो। इससे सार्वभौमिक, एकीकृत, रूपान्तरित एवं आकांक्षात्मक विकास की लक्ष्य को प्राप्ति की जा सकती है।

नीति आयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि भारत के संघीय ढाँचे में सभी राज्यों की पहल एवं सहभागिता से समस्याओं का निराकरण करने तथा लोकोपयोगी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय का माहौल पैदा करने में नीति आयोग अग्रणी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि यह बैठक हमें यह अवसर प्रदान करती है कि हम अपनी समस्याओं पर एक मंच पर विचार विमर्श करें और उनका समाधान ढूंढे। राश्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, नीतियों तथा क्षेत्रों की रणनीतियों के साथ–साथ राज्यों द्वारा उठाये जा रहे सामयिक विशयों पर सकारात्मक चर्चा हो। केन्द्र तथा राज्यों के बीच महत्वपूर्ण विशयों पर आम सहमति बने।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने महत्वपूर्ण विशयों पर गवर्निंग कॉउंसिल का ध्यान आकृश्ट किया। यथा–

- **केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण** – मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर सभी राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गयी है, परन्तु आयोग द्वारा राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण के लिए जो मानक तय किये गये हैं, उसके चलते विभिन्न राज्यों पर पड़ रहे प्रभाव में बहुत ज्यादा भिन्नता है। उदाहरण के लिए बिहार को 13वें वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी 32 प्रतिशत रहने पर भी पूर्व के वर्ष के वृद्धि दर (15 प्रतिशत) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में 48,118 करोड़ रूपये की प्राप्ति का आकलन था। नये फार्मूले पर बिहार को वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50,748 करोड़ रूपये की प्राप्ति केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में होगी। इस प्रकार बिहार के लिए मात्र 5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जबकि राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करीब 30 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के इस अत्यंत असमान प्रभाव को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

ए–5, स्टेट एम्पोरिया कम्प्लेक्स, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाशः 011–23361087, टेलीफैक्स : 011–23346980
ई–मेल : biharinformation@gmail.com

बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए यह चिन्ता का विषय है कि राज्यों के बीच निधि के बॅटवारा हेतु 14वें वित्त आयोग ने जो फार्मूला दिया है उसके आधार पर कुल रा"ा में बिहार का हिस्सा 10.9 प्रतिशत से घटकर 9.665 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि बिहार भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है और यहॉ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बिहार राज्य की इन विशेष आवश्यकताओं को भी देखे जाने की आवश्यकता है।

- **स्प"ाल प्लान** – मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में आधारभूत संरचना की कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष योजना (बी०आर०जी०एफ०) के तहत 12000 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई थी। इसमे नयी परियोजनाओं के लिये 10500 करोड़ रूपये तथा पुरानी चालू योजनाओं को पूरा करने के लिये 1500 करोड़ रूपये कर्णांकित किये गये थे। इसमें 9597.92 करोड़ रूपये की नयी परियोजनाओं की स्वीकृति नीति आयोग द्वारा दी गयी थी। अभी भी 902.08 करोड़ रूपये की राशि के विरूद्ध परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु नीति आयोग के पास प्रस्ताव लंबित है। इसके विरूद्ध ऊर्जा प्रक्षेत्र की स्वीकृत परियोजनाओं में लागत में हुई वृद्धि से संबंधित 856.81 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तथा पथ प्रक्षेत्र की एक परियोजना–लागत राशि 391 करोड़ रूपये का प्रस्ताव नीति आयोग के स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित है। मुख्यमंत्री ने बीआरजीएफ के अन्तर्गत लंबित राशि को शीघ्र विमुक्त करने का अनुरोध किया ताकि योजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** – मुख्यमंत्री श्री कुमार ने गैर–उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी 250 से अधिक आबादी वाले बसावटों को जोड़ने की योजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने का अनुरोध किया।

- **विशेष राज्य का दर्जा** – मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि पिछले कई वर्षों में दोहरे अंक का विकास दर हासिल करने के बावजूद भी हम विकास के प्रमुख मापदंडों मसलन गरीबी रेखा, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगीकरण और सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी तरह कई अन्य राज्य भी पिछड़े हैं। ऐसे पिछड़े राज्यों को एक समय सीमा में पिछड़ेपन से उबारने और राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने के लिए सकारात्मक नीतिगत पहल की जरूरत है। जिन राज्यों को वि"ोष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला है वे विकास के मामले में प्रगति किये हैं। अतः पिछड़ेपन से निकल कर विकास के राष्ट्रीय औसत स्तर को प्राप्त करने के लिए बिहार को और इस जैसे अन्य पिछड़े राज्यों को वि"ोष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमने लगातार केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखा है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने इसी संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा गठित रघुराम राजन समिति की अनुशंसाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। इस समीति ने राज्यों के लिए समग्र विकास सूचकांक प्रस्तुत किया था एवं जिसके अनुसार देश के 10 सर्वाधिक पिछड़े राज्यों को चिन्हित किया गया था। इन राज्यों में बिहार भी सम्मिलित है। प्रतिवेदन में उल्लेखित था कि सर्वाधिक पिछड़े राज्या की विकास की गति बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार अन्य रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा सकती है। इस पृष्ठभूमि में हमारा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार, सर्वाधिक पिछड़े राज्यों के लिये विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश के प्रावधान को 90 प्रतिशत करे ताकि इन राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्याशों की प्रतिबद्धताओं में बचत हो सकेगी एवं इन्हें अपने संसाधनों का उपयोग अन्य विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में करने का अवसर मिल सकेगा। साथ ही इन राज्यों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में छूट मिलने से निजी निवेश के प्रवाह को गति मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके।

- **मानदेय का पुनरीक्षण एवं वित्तीय भार का वहन** – केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में मार्गदर्शिका के अनुसार लोगों को योजना के क्रियान्वयन में लगाया जाता है और इसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका, मध्याह्न भोजन के तहत रसोईया आदि। समय–समय पर इनके द्वारा अपने मानदेय को बढ़ाने की माँग की जाती है। ऐसे लोग बड़ी संख्या में होने के कारण संगठित रूप से भी अपनी माँगों को रखते है एवं पूरा नही होने पर विरोध भी करते है। इस कारण योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और योजनाओं के मूल उद्देश्यों पर मानदेय संबंधी मामला हावी हो जाता है। कुछ मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा लम्बी अवधि से मानदेय में वृद्धि नही करने के कारण, केन्द्र द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त बिहार जैसे अल्प संसाधन वाले राज्य को अपने संसाधनों से भी राशि देनी पड़ रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि अगर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में ऐसे लोगों को लम्बी अवधि तक लगाया जाता है तो इनके मानदेय में एक निर्धारित अन्तराल पर यथोचित वृद्धि की जानी चाहिए और इसका पूर्ण वित्तीय भार केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए।

- **मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार** ने आईसीडीएस के अर्न्तगत पूरक पोशाहार कार्यक्रम एवं एमडीएम के विधिसम्मत वैकल्पिक क्रियान्वयन की सम्भावनाओं पर विचार करने का अनुरोध नीति आयोग से किया। उन्होंने कहा कि इससे वर्तमान में व्याप्त अनेक समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। **उन्होंने बिहार में राज्य योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा अनेक योजनाओं यथा– पोशाक योजना, साईकिल योजना आदि में सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे मामलों में सरकारी राशि का दुरूपयोग पर प्रभावकारी रोक, उच्चतर भौतिक उपलब्धि एवं लाभार्थी के संतुष्टि स्तर में वृद्धि देखी गई है।**

- **कौशल विकास** – मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम हेतु पहल करते हुये कौशल विकास मिशन की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार के द्वारा अगले पाँच वर्षो में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति आयोग द्वारा गठित उप–समूह में राज्य सरकार की तरफ से सौपे गये ज्ञापन तथा मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र मे वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु थे, जिन्हें न तो उप–समूह के द्वारा ही अपनी अनुशंसा में सम्मिलित किया गया है न ही भारत सरकार के द्वारा ही स्वीकृत किया गया है, को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

- **स्वच्छ भारत अभियान** – मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्व है। ''स्वच्छ बिहार स्वस्थ्य बिहार'' अभियान क रूप में राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरूआत की है। विकसित बिहार के 7 निश्चय में से एक ''शौचालय निर्माण घर का सम्मान'' के तहत मिशन मोड में अगले 4 वर्षों में पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और उस पर तेजी से कार्य चल रहा है। 7 निश्चय के तहत गाँव हो या शहर सभी घरो में पाईप के माध्यम से नल के जल की व्यवस्था की जा रही है। इससे भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को बल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन से सम्बन्धित उप समूह से समक्ष राज्य सरकार द्वारा रखे गये महत्वपूर्ण सुझावों को क्रियान्वयन नीति में भाामिल करने की मांग की।

- **किसानों की आय को दोग्ना करना** – मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है। बिहार जैसे राज्य के लिए कृषि और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की 89 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और 76 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवकोपार्जन के लिए कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर है। अतः कृषि विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। कृषि रोडमैप

बनाया गया। हमारे मेहनती किसानों के प्रयासों से राज्य में धान, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री के कृशि उपज के लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की घोशणा को शीघ्र क्रियान्वित करने का अनुरोध किया।

- **गरीबी उन्मूलन** – माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा को फिर से परिभाशित करने की आव" यकता है। एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। गरीबी और अभाव के विभिन्न अवयवों एवं ि" ाक्षा, स्वास्थ्य, पोशण की बदली हुई आव" यकताओं को ध्यान में रखते हुए गरीबी आकलन करने के नये तरीकों एवं मापदण्डों पर विचार किया जाना चाहिए। विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों जिसमें अत्यधिक गरीब हैं, तक पहुचाकर उनको सशक्त एवं सक्षम बनाना जरूरी है। सभी राज्यों और क्षेत्रों का संतुलित विकास किये बिना, संपूर्ण राष्ट्र का विकास अपूर्ण रहेगा। इसलिए पिछड़े हुए साधन विहीन और अबतक उपेक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय पैमानों की सीमा के अंतर्गत लाने के लिए उन्हें विशेष सहायता की जानी चाहिए।

- **सतत विकास लक्ष्य** – मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि बिहार सरकार 'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी लोगों एवं क्षेत्रों को साथ लेकर चल रही है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की हमारी विशिष्ट नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है जिनसे हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कमजोर वर्गों के कल्याण एवं महिलाओं तथा बच्चों के समुचित विकास के लिए अनेक राज्य योजनाएँ चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य के मुख्य सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धान्त ''कोई भी पीछे छूटे नहीं'' के तहत यह आवश्यक है कि सबसे कमजोर वर्ग के जन समूहों को लाभकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की कार्रवाई सभी के द्वारा की जानी चाहिये। हम आशा करते हैं कि केन्द्र सरकार इन बातों का उचित ध्यान रखेगी।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने विगत वर्षों में कई तरह के परिवर्तनकारी कदम उठाये हैं। सुशासन के कार्यक्रम, विकसित बिहार के सात निश्चय, बिहार विकास मिशन का गठन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–30), महिला स्वयं सहायता समूहों का जीविका कार्यक्रम, सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु लोक सेवा अधिनियम तथा लोक शिकायत निवारण अधिनियम आदि जैसी अनेक पहल की गई हैं। बिहार में **पूर्ण शराबबंदी** लागू कर सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई है। शराबबंदी के कारण नागरिकों के स्वास्थ में बेहतरी, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आई है। **चम्पारण सत्याग्रह** के सौवें साल में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।

संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने, घरों तक पक्की गली–नाली का निर्माण एवं युवाओं और महिलाओं के लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की व्यवस्था जैसे राष्ट्रीय विकास एजेंडा से संबंधित प्राथमिकताओं को अपने सोमित संसाधनों से मिशन मोड में क्रियान्वित कराया जा रहा है। नि" चय के तहत् कार्यान्वित योजनाओं को सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया ताकि इसका लाभ बिना किसी भेद–भाव के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों को प्राप्त हो सके। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास एजेंडा, जो भारत सरकार की प्राथमिकता है, को हमारा राज्य अपने स्तर से आगे बढ़ा रहा है। हम आशा करते है कि भारत सरकार इन सभी पहल के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध करायेगा।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत एवं बिहार राज्य के लिए दृष्टिपत्र बनाते समय उपर्युक्त वर्णित सभी मुद्दों एवं सुझावों पर सम्यक विचार किया जायेगा।

ए–5, स्टेट एम्पोरिया कम्प्लेक्स, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाषः 011–23361087, टेलीफैक्स : 011–23346980
ई–मेल : biharinformation@gmail.com